

शुभक,

श्री अशोक पांडेजी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र 2, मन्दाय केन्द्र,
प्रति विहार नवी दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

संक्रमांक: दिनांक: 18 अक्टूबर, 1994

विषय:- डी०ए०वी० पब्लिक स्कूल 5 जलहापुरम ज्वाइन कालोनी मेर० रोड,
हापुड़ अनापत्त प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि डी०ए०वी० पब्लिक स्कूल मेर० रोड, हापुड़ को सी०बी०एस०की नई दिल्ली से सम्बन्ध प्रदान किये जाने में केंद्र राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्त नहीं है :-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सौतखुटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम दस पुस्तकित स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित वर्ग के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित विद्यालयों में विभिन्न स्थाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से वैश्विक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्ध केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल कार डि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इन्वैस्टिगेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बन्ध प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 5- संस्था वैश्विक एवं शिक्षा विभागों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 6- कर्मचारियों की सेवाओं बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अज्ञातकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।


Principal
D.A.V. Public School
Delhi Road, HAPUR.


Manager
D.A.V. Public School
Delhi Road, Hapur

- 7- राज्य सरकार द्वारा लम्बे समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
- 8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रकाश/पर्यवेक्षणों में रखा जायेगा।
- 9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पुनर्निर्माण के बिना बोर्ड परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

2- प्रतिबन्ध यह भी होना कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय विद्यालय का निजी भवन मानकानुसंग बनवाकर सातन को 2 वर्ष के भीतर अद्यतन कराया जाय तथा प्रबन्ध समिति का बोर्ड भी सदस्य/पदाधिकारी विद्यालय के वैतनिक पद पर कार्यरत नहीं होना।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय पालना जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की देर या गिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भारतीय,


अशोक मांगुली
उप सचिव।


सू.सं. 3214111/15-7-1994 तदुद्दिनांक
=====

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनायें एवं आश्वासक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- सहायक उप शिक्षा निदेशक, मेरठ।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, माजियाबाद।
- 4- निरीक्षक, अंग्रेज भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- प्रबन्धक, डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल मेरठ, रोड 5 अलहापुरम अशोक कामौनी हापुड़ माजियाबाद।

आंश दे,


अशोक मांगुली
उप सचिव।


Principal
D.A.V. Public School
Delhi Road, HAPUR


Manager
D.A.V. Public School
Delhi Road, Hapur